रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218857
CG-DL-E-23032020-218857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1053] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2020/फाल्गुन 29, 1941
No. 1053] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2020/PHALGUNA 29, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2020

सं. 52/2015–2020

विषयः–मास्क, वेंटिलेटर आर मास्क एवं कवरऑल्स हेतु वस्त्र की कच्ची सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ.1171(अ).–विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दिए गए उत्पाद विवरण के अनुसार मास्क, वेंटिलेटर और मास्क एवं कवरऑल्स हेतु वस्त्र की कच्ची सामग्री के निर्यात से संबंधित आईटीसी एचएस निर्यात नीति 2018 की अनुसूची 2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

क्रम सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207क	ईएक्स 392690 ईएक्स 621790 ईएक्स 630790 ईएक्स 901890 ईएक्स 9020	सर्जिकल/डिस्पोजेबल मास्क (2/3 प्लाई मास्क)	मुक्त (दिनांक 25.02.2020 की अधिसूचना सं. 48 के अनुसार)	निषिद्ध

207ख	ईएक्स 9018	सभी वेंटिलेटर	मुक्त	निषिद्ध
207ग	560311 560312 560313 560314 560391 560392 560393 560394	मास्क एवं कवरऑल्स हेतु वस्त्र की कच्ची सामग्री	मुक्त	निषिद्ध

2. परवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापारी नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.05 के तहत प्रावधान इस अधिसूचना के लिए लागू नहीं है।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्रत्येक विनिर्दिष्ट आईटीसी एचएस कोडों के तहत आने वाले सभी वेंटिलेटरों, केवल सर्जिकल/डिस्पोजेबल (2/3 प्लाई) मास्क और केवल मास्क एवं कवरऑल्स हेतु वस्त्र की कच्ची सामग्री का निर्यात तत्काल प्रभाव से निषिद्ध कर दिया गया है। दिनांक 25.02.2020 की अधिसूचना सं. 48 में अनुमत सभी अन्य मदें (सर्जिकल/डिस्पोजेबल (2/3 प्लाई) मास्क को छोड़कर) निर्यात के लिए "मुक्त" बनी रहेगी।

[फा.सं. 01/91/180/21/एएम–20/ईसी]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2020

No. 52 /2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Masks, Ventilators and textile raw material for masks and coveralls

S.O. 1171(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in Schedule 2 of the ITCHS Export policy 2018 related to export of Masks, Ventilators and textile raw material for masks and coveralls as per the product description given below:

S.No	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207 A	ex392690 ex621790 ex630790 ex901890 ex9020	Surgical Masks/ Disposable Masks (2/3 Ply Masks)	Free (As per Notification No. 48 dated 25.02.2020)	Prohibited
207 B	ex9018	All Ventilators	Free	Prohibited

207 C	560311 560312 560313 560314 560391 560392 560393 560394	Textile raw material for masks and coveralls	Free	Prohibited

2. The provision under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20 regarding transitional arrangement is not applicable for this notification.

3. Effect of this Notification:

The export of all ventilators, Surgical/Disposable (2/3Ply) Masks only and Textile raw material for masks and coveralls only falling under the ITCHS Codes specified against each has been prohibited, with immediate effect. All other items (except surgical/disposable (2/3Ply) Masks) allowed in the Notification No. 48 dated 25.02.2020 shall remain "free" for exports.

[F. No. 01/91/180/21/AM20/EC]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.23 15:38:48 +05'30'